न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 7 / 2019 GCMS NO2019 / 00355

दायरा तिथि : 19.12.2019

आदेश तिथि: 14-9-2021

अपीलान्ट्स :–

1. प्यारीदेवी पुत्री चुन्नीलालजी
2. दरीया पुत्री चुन्नीलालजी जातिगण सरगरा
   निवासीगण सेसली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. चौथीदेवी पत्नि चुन्नीलालजी
2. फुलाराम पुत्र चुन्नीलालजी
3. स्व. रमेशकुमार पुत्र चुन्नीलालजी के कामु–
   ए–संतोष पुत्री रमेशकुमार
   बी– आशा पुत्री रमेशकुमार
   सी–नीलम पुत्री रमेशकुमार
   डी– महावीर पुत्र रमेशकुमार
   ई–विक्रम पुत्र रमेशकुमार
   एफ– पायल पुत्री रमेश कुमार
4. प्रकाश कुमार पुत्र चुन्नीलालजी तमाम जाति सरगरा
   निवासीगण सेसली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. सरपंच ग्राम पंचायत सेसली
6. तहसीलदार जी (भूमिधारी) बाली
7. कमलादेवी पत्नि श्री रमेश कुमार जाति सरगरा
   निवासी सेसली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

उपस्थिति :–

1. श्री विरमदेवसिंह सोनिंगरा ....अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से
2. श्री मदनलाल परिहार .... अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03 की ओर से
3. श्री यशपालसिंह .... अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04 की ओर से
4. नायब तहसीलदार, बाली .... पेरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::–

दिनांक : 14-9-2021

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 जो सरपंच ग्राम पंचायत सेसली द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट्स ने अपने स्व. पिता चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम सेसली के खसरा नंबर 368, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 380, 381, 382, 383 कुल खसरा–11 कुल रकबा 5.64 हैक्टर बाबत् स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम की मृत्यु दिनांक 6.03.1978 के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 से चुन्नीलाल के सभी वारिशान् का नाम दर्ज नहीं कर चुन्नीलाल के तीन पुत्रो एवं पत्नि का नाम ही दर्ज किया गया, तथा चुन्नीलाल की पुत्रियो का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिससे अपीलान्ट्स ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपील के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 की प्रमाणित प्रति तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

प्रकरण पंजिबद्ध कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 3(ए),बी,सी, की ओर से श्री मदनलाल परिहार द्वारा दिनांक 13.02.2020 को वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण के चलते अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. पेश कर कमलादेवी पत्नि रमेशकुमार को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये कमलादेवी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3(डी), ई, एफ, एवं 07 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 3(ए), बी,सी, एवं रेस्पोडेन्टस संख्या–04 के अधिवक्तागणो द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस का निवेदन किया।

पेज लगातार........02

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील सं. 7/2019 GCMS NO2019/00355
अनवान प्यारीदेवी वगैरा बनाम चौथीदेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम की मृत्यु दिनांक 6.03.1978 के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 से चुन्नीलाल के सभी वारिशान् का नाम दर्ज नहीं कर चुन्नीलाल के तीन पुत्रो एवं पत्नि का नाम ही दर्ज किया गया, तथा चुन्नीलाल की पुत्रियो का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिससे नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 दोषपुर्ण होने से निरस्त कर स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम के सभी विधिक वारिशान पुत्रो, पुत्रियो एवं पत्नि के नाम नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार दर्ज किये जाने की दलील दी गई। वकील रेसपोडेन्ट्स श्री मदनलाल परिहार व श्री यशपालसिंह द्वारा भी बहस में इसका खण्डन नहीं किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं। ग्राम सेसली के खसरा नंबर 368, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 380, 381, 382, 383 कुल खसरा–11 कुल रकबा 5.64 हैक्टर में स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम की मृत्यु दिनांक 6.03.1978 के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 को स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम के हिस्से तक निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार, बाली को आदेश प्रति भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि में स्व. चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम के हिस्से की भूमि में चुन्नीलाल के सभी वारिशान अपीलान्ट्स व रेसपोडेन्ट संख्या 01 से 04 व रेसपोडेन्ट संख्या–07 के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 25.04.1988 की सत्यापित प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 14-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner